न्यायालय माननीय म0प्र0 राजस्व मण्डल ग्वालियर(म0प्र0)

R-4200-PBR-16

मांगीलाल पिता हिन्दुसिंह जाति राजपुत

निवासी ग्राम कुँवरसी तहसील व जिला धार –– निगरानीकर्ता

बनाम

1– बद्रीलाल पिता गणपत गारी

निवासी ग्राम कुवरसी तह व जिला धार

2– नेहरूसिंह पिता कनीराम गारी

निवासी ग्राम कुवरसी तह व जिला धार

3– नन्दराम पिता नग्गा जी गारी

धंधा खेती निवासी ग्राम कुवरसी तह वजिला धार

–– प्रतिप्रार्थीगण

:: निगरानी अर्ज धारा 50 म0प्र0 भु0रा0सं0 1959 अनुसार ::

" यह निगरानी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागिय अधिकारी महोदय धार के राजस्व प्रकरण कं– 198 /अपील/2015–16 मे पारित आदेश दिनांक– 8/9/16 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है जहॉ विद्वान मुल अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय तह धार के राजस्व प्रकरण कं– 11/अ–13/11–12 मे पारित आदेश दिनांक– 11–8–2014 से असंतुष्ट होकर प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है जिसमे उक्त अंतरिम आदेश द्वारा धारा 5 म्याद विधान कायदे के विरूद्ध मंजुर किया है जिससे द्रवित होकर यह निगरानी पेश की गई है।"

मान्यवर महोदय,

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 4200–पीबीआर/2016 **जिला धार**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
08–02–2017	आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–9–16 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि उनके द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन स्वीकार करते हुये विलम्ब क्षमा किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है, जहॉ आवेदक को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है । अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। अध्यक्ष	